न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 137–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.9.12 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुरैना प्रकरण कमांक 9/08–09 /अपील.

———

महिला रेवती पुत्री बाबूलाल (मृतक)

वारिश :–

1– रामनारायण पुत्र रामदयाल

2–केदार पुत्र रामनारायण

3– सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामनारायण

4– मनीष पुत्र रामनारायण

5– रामाधार 6– दिलीप पुत्रगण रामनारायण

7– शारदा 8– मीना पुत्रीगण रामनारायण

समस्त निवासीगण ग्राम कीरतपुरा तहसील व

जिला मुरैना म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

तथाकथित नाम अजुद्धी (जन्म का नाम चंदनिया)

पत्नी बाबूलाल जाति किरार ठाकुर निवासी

ग्राम मुडियाखेडा तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

——— अनावेदक

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

(अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0 घाकड)

आ दे श

(आज दिनांक16–11– 2015)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मुरैना जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 9/08–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 17.9.12 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मुडियाखेडा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1207 रकवा 4 बीघा 5 विस्वा सर्वे कमांक 1221 रकवा 4 बीघा 17 विस्वा कुल किता 2 रकवा 9 बीघा 2 विस्वा की भूमि स्वामी अजुद्धी बाई (जन्म का नाम चंदनिया) पत्नी बाबूलाल थी । अजुद्धी बाई की मृत्यु हो जाने के कारण प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका रेवती का नामांतरण करा लिया गया, जिसकी जानकारी उस समय हुई जब वह व्यवहार बाद के लिये भूराजस्व पुस्तिका प्राप्त की और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जो अपील 9/08–09 पर दर्ज होकर अंतरिम आदेश दिनांक 17.9.12 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है ।

3– आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया है कि प्रतिप्रार्थी ने एक आवेदन धारा 32 म0प्र0 भूराजस्व संहिता का प्रस्तुत किया कि सर्वे न0 1207 एवं 1221 स्थित ग्राम मुडियाखेडा के संबंध में व्यवहार वाद 29/2009 ए0इ0दी रेवती बनाम बाबूलाल विचाराधीन है तथा उक्त सर्वे कमांक पर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 मुरैना द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायालय द्वितीय अपर जिला

न्यायाधीश महोदय मुरैना एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा अपने आदेश में स्थगन प्रार्थीया के पक्ष में होने का उल्लेख किया है तथा दोनो सर्वे कमांक पर प्रार्थीया का नामांतरण होना प्रथम दृष्टिया सही माना है । जहां वरिष्ठ सिविल न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हो तो उक्त आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है इस दौरान अपील में कार्यवाही स्थगित की जावे ।

4– अनावेदिका के अभिभाषक ने अपने तर्को में अवगत कराया है कि अजुद्धी मेरी पक्षकार है जो जिन्दा है रेवती को फौत बताते हुये नामांतरण करा लिया है । सिविल सूट उसके बाद पेश कर दिया है । अनुविभागीय अधिकारी के यहां धारा 32 का आवेदन देकर सिविल न्यायालय में प्रकरण चलने से स्थिगत करने का आवेदन निरस्त कर दिया । आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी निर्थक एवं निराधार होने से निरस्त की जावे ।

5– अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का भली भांति अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया । अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता हे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.9.12 में धारा 32 का आवेदन इस आधार पर अमान्य किया है कि नामांतरण कार्यवाहियां सिविल बाद लंबित/बाद संस्थित होने से नहीं रोकी जा सकती हैं, ना ही अपील प्रकरण में कार्यवाही रोकी जा सकती है । जब कि आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत 1984 रा0 नि0 31 लाभसिंह तथा अन्य विरूद्ध देवकी नन्दन तथा अन्य एवं 1986 रा0 नि0 13 शोभनाथ विरूद्ध रणजीत प्रसाद सिविल न्यायालय की अधिकारिता श्रेष्ठ मानी गई है, इसलिये मैं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से संतुष्ट नहीं हूँ । दोनों न्याय दृष्टात के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है । अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के प्रकरण क्रमांक 9/08–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.9.12 निरस्त किया जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर